रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1998/श्रावण 23, 1920
No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1998/SHRAVANA 23, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1998

का. आ. 697 (अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 का 1956) की धारा 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर निर्मित मूसी, पलेरु, गुंडलाकम्मा, मनेरु मूडीगोंडा एवं कि. मी. 273/6 में निर्मित पुल सहित कि. मी. 259 से कि. मी. 310 के बीच बने छः पुलों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा और मैसर्स पी. वी. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, 6-3-249/2, बंजारा हिल्स, मैन रोड, हैदराबाद-500034 के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण तथा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किए गए करार को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा, उक्त मैसर्स पी. वी. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अथवा उनके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर पलेरु पुल पर यातायात शुरू होने की तारीख से 1 जून 2017 तक शुल्क एकत्र करने और उसे रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची-1

(राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर नवनिर्मित पलेरु पुल पर यातायात शुरू होने की तारीख से लेकर 1 जून 2017 तक प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क दर)

क्रम सं.	वाहन श्रेणी	संशोधित दर (रुपये)
1.	ट्रक/बस	20.00
2.	टैक्सी/कार	10.00
3.	आर्टीकुलेटिड वाहन (रोड़ रोलर, क्रेन इत्यादि)	30.00
4.	तिपहिया वाहन (आटो रिक्शा)	2.00

टिप्पणी 1 : जब किसी वाहन को उसी दिन वापसी अर्थत् आने-जाने के लिए पुल या पुलों का प्रयोग करना पड़े तो प्रयोक्ता के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट दर का डेढ़ गुना भुगतान करने का विकल्प होगा।

टिप्पणी 2 : निम्नलिखित वाहनों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी :—

(i) रक्षा विभाग के वाहन,
(ii) पुलिस वाहन,
(iii) अग्निशमन वाहन,
(iv) एम्बुलेंस,
(v) दाह संस्कार वैन,
(vi) डाक और तार विभाग के वाहन,
(vii) ड्यूटी पर तैनात केन्द्र तथा राज्य सरकार, और
(viii) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहन

टिप्पणी 3 : निम्नलिखित वाहन अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहन माने जाएंगे :

(i) राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति,

(ii) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मंत्री,

(iii) लोक सभा, राज्य सभा एवं राज्य सरकारों की विधान सभा में विपक्ष के नेता जिन्हें मंत्री पद की मान्यता प्राप्त हो,

(iv) राज्यपाल,

(v) उपराज्यपाल,

(vi) कार्यकारी पार्षद,

(vii) लोकसभा राज्यसभा एवं विधान सभाओं के अध्यक्ष,

(viii) राजकीय दौरे पर आए विदेशी मेहमान,

(ix) भारत में कार्यरत विदेशी राजदूत जिनकी कार पर सी. डी. नम्बर हो।

[सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-15013/12/96-पी. एल.]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक, (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1998

S.O. 697 (E).— In exercise of powers conferred by Section 8A of the National Higways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of six bridges at Musi, Palleru, Gundlakama, Manneru, Mudigonda on NH-5 along with minor bridge at Km. 273/6 between Km. 259 and Km. 310 of NH-5 in Andhra Pradesh at the rates as specified in the Schedule I given below and having regard to the Agreement entered into with M/s. P. V. R. Industries Limited, 6-3-249/2, Banjara Hills Main Road, Hyderabad-500034 to build, operate and transfer the said six bridges and for services provided by it, hereby authorises the said M/s. P. V. R. Industries Limited, or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates as specified in the said Schedules from the date of opening of Palleru Bridge to traffic till 1st day of June, 2017.

SCHEDULE-I

(Rates of fees to be collected from the users of Palleru Bridge of NH-5 in Andhra Pradesh chargeable from the date of opening of Pelleru Bridge to traffic till 1st Junde 2017)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Rate per Vehicle (in Rs.)
1.	Truck or Bus	20.00
2.	Car or Taxi	10.00
3.	Articulated Vehicle	30.00
4.	Three-wheeler	2.00

NOTE 1 :

When the same vehicle has to cross the bridge or bridges more than once in a day, the users shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bridge or bridges in the first trip itself.

NOTE 2 :

Following types of vehicles are exempted from the toll :

(i) Defence vehicles;

(ii) Vehicles with VIP symbols;

(iii) Police vehicles;

(iv) Fire fighting vehicles;

(v) Ambulances;

(vi) Funeral vans;

(vii) Post and Telegraph Department vehicles; and

(viii) Central and State Government vehicles on duty.

NOTE 3 :

The following vehicles shall be deemed to be vehicles having VIP symbols namely :

(i) President of India;

(ii) Vice-President of India;

(iii) Central and State Minister;

(iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister;

(v) Governor of States;

(vi) Lieutenant Governors of Union Territories;

(vii) Executive Councillors of local elected bodies;

(viii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures;

(ix) Foreign dignitaries on State visit to India; and

(x) Foreign Diplomats—stationed in India using cars with CD symbols;

[No. RW/NH-15013/12/96-PL]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development), & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998